

समाहरणालय, पटना।
जिला नजारत शाखा

फोन नं. 0612-2219545(५)
फैक्स नं.-0612-221890.
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक- 1554, दिनांक 07.12.17 द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रत्येक अंचल कार्यालय के RTPS काउन्टरों पर स्कैनर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करते हुए प्रति कार्यालय मो.- 15000.00 (पंद्रह हजार) रू. की दर से पटना जिला को कुल राशि मो.- 345000.00 (तीन लाख पैंतालीस हजार) रू. मात्र उपलब्ध करायी गई है। उपलब्ध करायी गई राशि में से प्रत्येक अंचल कार्यालय को अच्छी गुणवत्ता का स्कैनर का क्रय करने हेतु निम्न प्रकार राशि उपावटित की जाती है :-

क्रं.	कार्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	उपावटित राशि
1	प्रखंड सह अंचल RTPS कार्यालय	अंचलाधिकारी, पटना सदर	15000.00
2		अंचलाधिकारी, सम्पतचक	15000.00
3		अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ	15000.00
4		अंचलाधिकारी, दानापुर	15000.00
5		अंचलाधिकारी, बिहटा	15000.00
6		अंचलाधिकारी, मनेर	15000.00
7		अंचलाधिकारी, नौबतपुर	15000.00
8		अंचलाधिकारी, पालीगंज	15000.00
9		अंचलाधिकारी, दुल्हनबाजार	15000.00
10		अंचलाधिकारी, बिक्रम	15000.00
11		अंचलाधिकारी, मसौढ़ी	15000.00
12		अंचलाधिकारी, पुनपुन	15000.00
13		अंचलाधिकारी, धनरुआ	15000.00
14		अंचलाधिकारी, दनियावां	15000.00
15		अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	15000.00
16		अंचलाधिकारी, फतुहां	15000.00
17		अंचलाधिकारी, बाढ़	15000.00
18		अंचलाधिकारी, अथमलगोला	15000.00
19		अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	15000.00
20		अंचलाधिकारी, मोकामा	15000.00
21		अंचलाधिकारी, बेलछी	15000.00
22		अंचलाधिकारी, पंडारक	15000.00
23		अंचलाधिकारी, घोसवरी	15000.00
कुल योग -			345000.00

जिला क्रय समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण के उपरान्त Canon Image Formula P-215II Scanner मॉडल को उपयुक्त मानते हुए न्यूनतम दर प्राप्त एजेन्सी मेसर्स INDIA Marketing, East Boring Canal Road, Patna से क्रय करने की अनुशंसा की गई है। क्रय समिति द्वारा अनुशंसा के आलोक में मेसर्स INDIA Marketing, East Boring Canal Road,

समाहरणालय, पटना।
जिला नजारत शाखा

फोन नं. 0612-2219545(का.)
फैक्स नं.-0612-2218900
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

Patna से उक्त स्कैनर का क्रय किया जा सकता है अथवा इसी गुणवत्ता का स्कैनर अन्य एजेन्सी से उसी दर पर अथवा कम में क्रय किया जा सकता है।

उपावंटित राशि से बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुये दिनांक 31.01.19 तक स्कैनर का क्रय करना सुनिश्चित किया जाय।


नजारत उप समाहर्ता, पटना को निदेश दिया जाता है कि अंचलवार उपावंटित राशि को बैंक खाता संख्या के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि के व्यय के संबंध में निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जाय।

1. व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य सुसंगत वित्तीय प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। इस राशि विमुक्ति का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझी जाय तथा पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाय।

2. उपलब्ध करायी गई राशि का विचलन अन्य इकाई मद में नहीं किया जायेगा।


3. दिनांक 31.01.19 तक स्कैनर का क्रय कर दिनांक 15.02.19 तक अभिश्रव के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला नजारत शाखा, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिशन कार्यालय को भेजा जा सके।


जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-~~XXXXVI-03~~18.49...../नजा., पटना, दिनांक-03.01.2019

प्रतिलिपि :- सभी अंचलाधिकारी, जिला पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी,
पटना।